इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 259] भोपाल, मंगलवार, दिनांक 30 जून 2015—आषाढ़ 9, शक 1937

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 30 जून 2015

क्र. एफ-24-1-2012-1-10.—यत:, दिनांक 06 जनवरी, 2012 को पुलिस थाना मऊ का पुलिस बल श्री देवेन्द्रसिंह भदौरिया, निवासी ग्राम पड़कौली की गिरफ्तार वारंट का निष्पादन करने के लिए ग्राम पड़कौली पहुंचा तथा पुलिस बल द्वारा श्री देवेन्द्रसिंह भदौरिया को गिरफ्तार किया गया किन्तु ग्रामवासियों ने अचानक पुलिस बल पर हमला कर दिया गया और उपरोक्त व्यक्ति को पुलिस की अभिरक्षा से छुड़ा लिया तथा जान से मारने के आशय से आरक्षकों पर बंदूक से गोली चलाना भी शुरू कर दिया और पुलिस बल से एक रायफल लूट ली. इस घटना में एक व्यक्ति श्री रणसिंह भदौरिया, आत्मज श्री शिवपालसिंह भदौरिया, आयु 25 वर्ष, निवासी ग्राम पड़कौली की गोली लगने से मृत्यु हो गई थी.

2. और, यत:, राज्य सरकार द्वारा अपने आदेश क्रमांक एफ 24(1)-2012-1-10, दिनांक 12 जुलाई, 2012 द्वारा श्री अखिल कुमार श्रीवास्तव, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, नरसिंहपुर की अध्यक्षता से सार्वजनिक महत्व के निम्नलिखित विषयों की जांच करने के प्रयोजन से एकल सदस्यीय जांच आयोग का नियुक्त किया गया था, अर्थात्:—

(एक) श्री देवेन्द्रसिंह भदौरिया, निवासी ग्राम पड़कौली को किस अपराध के अधीन गिरफ्तार किया गया था और उसकी गिरफ्तारी का वारंट किस न्यायालय द्वारा जारी किया गया था?

(दो) ग्रामवासियों ने किन परिस्थितियों के अधीन गिरफ्तारी वारंट का निष्पादन कर रहे पुलिस बल पर हमला किया और बंदूक से गोली चालन किया?

(तीन) श्री रणसिंह भदौरिया आत्मज श्री शिवपालसिंह भदौरिया की मृत्यु किन परिस्थितियों में हुई और उसके कारण.

(चार) घटना से आनुषंगिक अन्य विषय जिन्हें कि आयोग उचित समझे.

(पांच) भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के संबंध में सुझाव.

3. अब, राज्य सरकार, उक्त क्रमांकित आदेश को निरस्त करते हुए, एतद्द्वारा श्री अखिल कुमार श्रीवास्तव, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, नरसिंहपुर के स्थान पर डॉ. श्री सी. पी. कुलश्रेष्ठ, सेवानिवृत्त अतिरिक्त जिला एवम् सत्र न्यायाधीश को उपरोक्त विषयों की जांच करने के लिए नियुक्त करती है.

4. आयोग का मुख्यालय, ग्वालियर, मध्यप्रदेश होगा.

5. आयोग, इस अधिसूचना के प्रकाशन के दिनांक से तीन मास के भीतर जांच पूर्ण करेगा और राज्य सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा.

Bhopal, the 30th June 2015

No. F-24(1)-2012-1-10.—Whereas, on 6th January, 2012, the Police force of Police Station, Mau had reached Padkauli Village to execute arrest warrant of Shri Devendra Singh Bhadoria, resident of village Padkauli and Shri Devendra Singh Bhadoria was arrested by the Police force but the villagers suddenly attacked on the Police force and released the aforesaid person from Police custody and also opened fire with gun with an intent to kill Policemen and looted a rifle from the Police force. In this occurrence one person Shri Ran Singh Bhadoria S/o. Shri Shivpal Singh Bhadoria, aged 25 years, resident of village Padkauli was Killed by gunshot.

2. And, whereas, a single member Commission of Inquiry was appointed by the State Government under the Chairmanship of Shri Akhil Kumar Shrivastava, District and Sessions Judge, Narsinghpur *vide* its Order No. F. 24(1)-2012-1-10, dated 12th July, 2012 for the purpose of making an inquiry into the following matters of public importance, namely:—

(1) Under which offence Shri Devendra Singh Bhadoria resident of village Padkoli was arrested and which court has issued the arrest warrant.

(2) Under which circumstances the villagers have attacked and opened fire with Gun on the Police force, executing the arrest warrant.

(3) Under which circumstances the death of Ran Singh S/o. Shivpal Singh Bhodoria resident of village Padkauli was caused and its reason.

(4) Other matters which the Commission may think proper as incidental to the incident.

(5) Suggestions regarding prevention of recurrence of such incidents in future.

3. Now, the State Government, cancelling its aforesaid numbered order, hereby appoints Dr. Shri C. P. Kulshreshtha, retired Additional District and Sessions Judge to enquire into the aforesaid matters in place of Shri Akhil Kumar Shrivastava, District and Sessions, Judge, Narsinghpur.

4. The headquarters of the Commission shall be at Gwalior, Madhya Pradesh.

5. The Commission shall complete its inquiry and submit its report to the State Government within three months from the date of publication of this Notification.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश कौल, उपसचिव.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2015.